भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 293

उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

नशा मुक्त भारत अभियान

293. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में स्थापित नशा मुक्ति केन्द्रों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में इन नशा मुक्ति केन्द्रों पर उपचार करवाने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों में ऐसे उपचार करवाने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ड.) सरकार द्वारा नशा मुक्ति सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा समर्थित नशामुक्ति केन्द्रों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख): पिछले तीन वर्षों में इन नशामुक्ति केंद्रों पर उपचार लेने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या **अनुबंध-II** में संलग्न है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 8660 महिलाओं ने इन नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार करवाया है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान नशामुक्ति केन्द्रों के लिए आवंटित राज्यवार धनराशि **अनुबंध-III** में संलग्न है।

(ङ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नशामुक्ति सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध-IV** में संलग्न है।

अनुबंध-I

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 293 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा समर्थित राज्यवार नशा मुक्ति केंद्रों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईआरसीए	ओडीआईसी	सीपीएलआई	डीडीएसी	एसएलसीए	कुल
1	आंध्र प्रदेश	10	4	4	13	1	32
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	2	0	2
4	असम	16	3	3	9	1	32
5	बिहार	7	0	0	5	1	13
6	चंडीगढ़	0	1	1	0	0	2
7	छत्तीसगढ	2	3	1	0	1	7
8	दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	1	0	0	1	0	2
9	दिल्ली	10	8	5	1	1	25
10	गोवा	0	0	0	2	0	2
11	गुजरात	7	3	3	3	1	17
12	हरियाणा	9	1	1	0	1	12
13	हिमाचल प्रदेश	3	0	1	1	1	6
14	जम्मू एवं कश्मीर	1	3	2	6	1	13
15	झारखंड	1	0	0	5	0	6
16	कर्नाटक	33	0	0	3	1	37
17	केरल	16	2	2	0	1	21
18	लद्दाख	0	0	0	2	0	2
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	14	7	3	10	1	35
21	महाराष्ट्र	43	0	0	7	1	51
22	मणिपुर	25	6	2	1	1	35
23	मेघालय	1	1	0	1	0	3
24	मिजोरम	11	2	0	0	1	14
25	नागालैंड	6	1	1	4	1	13
26	ओडीशा	39	5	4	2	1	51
27	पुदुचेरी	2	1	0	0	0	3
28	पंजाब	7	2	1	0	0	10
29	राजस्थान	17	7	4	7	0	35
30	सिक्किम	2	0	0	0	0	2
31	तमिलनाडु	25	0	0	7	1	33
32	तेलंगाना	10	1	0	3	1	15
33	त्रिपुरा	0	2	0	0	0	2
34	उत्तर प्रदेश	20	9	5	19	0	53
35	उत्तराखंड	4	1	1	1	1	8
36	पश्चिम बंगाल	8	1	2	9	1	21
	कुल	350	74	46	124	21	615

अनुबंध-II

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 293 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में इन नशा-मुक्ति केंद्रों पर उपचार लेने वाले लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	18658	20036	48094
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	30	5	0
4	असम	26984	26869	40328
5	बिहार	1583	1487	1639
6	चंडीगढ़	1007	1145	5440
7	छत्तीसगढ	16580	17262	16742
8	दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	160	182	187
9	दिल्ली	18549	26635	44454
10	गोवा	3	0	0
11	गुजरात	1571	1607	17658
12	हरियाणा	7352	6893	6790
13	हिमाचल प्रदेश	12665	3207	2683
14	जम्मू एवं कश्मीर	4365	9774	31432
15	झारखंड	195	194	190
16	कर्नाटक	7206	7179	7501
17	केरल	4746	10385	12747
18	लद्दाख	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	41467	55461	78015
21	महाराष्ट्र	8630	8705	10347
22	मणिपुर	9026	10313	18920
23	मेघालय	40	196	417
24	मिजोरम	2025	2196	8790
25	नागालैंड	1440	1293	2556
26	ओडीशा	28223	32241	39965
27	पुदुचेरी	499	463	4628
28	पंजाब	10159	11239	11486
29	राजस्थान	24001	28982	52713
30	सिक्किम	178	165	114
31	तमिलनाडु	3938	3668	15938
32	तेलंगाना	6020	6174	6995
33	त्रिपुरा	762	416	0
34	उत्तर प्रदेश	15523	31041	71721
35	उत्तराखंड	4718	5230	5537
36	पश्चिम बंगाल	8099	8942	17786
	कुल	**286402**	**339585**	**581813**

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 293 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान नशामुक्ति केंद्रों के लिए जारी राज्यवार धनराशि निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	3.12	3.99	6.33
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.05	0
4	असम	5.24	4.37	7.46
5	बिहार	2.05	1.84	2.25
6	चंडीगढ़	0.27	0	0.1
7	छत्तीसगढ	0.86	1.29	0.68
8	दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	0.2	0.24	0.32
9	दिल्ली	4.37	3.47	3.95
10	गोवा	0	0	0
11	गुजरात	2.35	2.53	3.11
12	हरियाणा	1.98	2.03	1.61
13	हिमाचल प्रदेश	1.29	0.91	1.25
14	जम्मू एवं कश्मीर	0.46	2.37	2.15
15	झारखंड	0.19	0.24	0.38
16	कर्नाटक	7.67	9	10.36
17	केरल	3.62	3.54	5.22
18	लद्दाख	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	2.84	3.5	5.46
21	महाराष्ट्र	8.77	9.88	12.81
22	मणिपुर	7.2	8	10.6
23	मेघालय	0	0.25	0.14
24	मिजोरम	1.95	2.25	3.03
25	नागालैंड	1.97	1.19	0.91
26	ओडीशा	10.07	9.31	14.55
27	पुदुचेरी	0.22	0.43	0.58
28	पंजाब	1.08	1.01	1.33
29	राजस्थान	3.74	4.87	9.91
30	सिक्किम	0.46	0.19	0.28
31	तमिलनाडु	4.95	5.19	9.03
32	तेलंगाना	2.32	2.49	3.63
33	त्रिपुरा	0.08	0.14	0
34	उत्तर प्रदेश	6.09	4.97	9.82
35	उत्तराखंड	1.28	1.63	1.37
36	पश्चिम बंगाल	2.43	2.43	4.06
	कुल	**89.12**	**93.6**	**132.68**

अनुबंध-IV

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 293 के भाग (इ.) में उल्लिखित अनुबंध

विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में नशामुक्ति सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल विभाग है। नशीली दवाओं के उपयोग की समस्या से निपटने के लिए, यह विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) को लागू कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए कार्यक्रम आदि के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

ii. 'नशे की लत से ग्रस्त लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए एनजीओ/वीओ, किशोरों में नशीली दवाओं के सेवन की प्रारंभिक रोकथाम के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी)'; और

iii. व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पताल।

2. एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

i. वर्तमान में विभाग 350 एकीकृत व्यसन पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए), 46 समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई) कार्यक्रमों, 74 आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्रों (ओडीआईसी), सरकारी अस्पतालों में 125 व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) और 124 जिला नशा मुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

ii. इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों की आसान पहुंच के लिए जियो-टैग किया गया है।

iii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, '14446' का संचालन किया जा रहा है, ताकि हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं।

iv. विभाग द्वारा नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों (6वीं-11वीं कक्षा), शिक्षकों और अभिभावकों को नशीली दवाओं पर निर्भरता, इससे निपटने की कार्यनीतियों और जीवन कौशल के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2020 को एनएमबीए की शुरुआत की गई थी और अब इसे देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य आम जनता तक पहुँचना और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना, नशे की लत से पीड़ित लोगों की पहचान करना, अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना है।

इसके शुभारंभ के बाद से, पूरे देश में कई तरह की गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों और हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा मिला है। मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर संगठनात्मक भागीदारी के पुराने दृष्टिकोण से सामुदायिक भागीदारी की ओर बदलाव आया है। राज्यों, जिलों और अन्य हितधारकों ने अभियान को अपनाया है, जिससे अभियान को जन आंदोलन में बदलने में मदद मिली है।

4. एनएमबीए की उपलब्धियां

क. अब तक जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 14.07 करोड़ से अधिक लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें 4.90 करोड़ से अधिक युवा और 2.93 करोड़ से अधिक महिलाएँ शामिल हैं।

ख. 4.12 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुँचे।

ग. 9,000 मास्टर वालंटियर्स से अधिक की एक मजबूत टीम चिन्हित की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

घ. ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जागरूकता चलाया गया है।

ड. एनएमबीए मोबाइल एप्लीकेशन एनएमबीए गतिविधियों के डेटा को इकट्ठा करने और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनएमबीए डैशबोर्ड पर प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है।

च. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) अभियान के बारे में उपयोगकर्ता/व्यूवर को एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

छ. नशा मुक्त होने के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ में 99,595 शैक्षणिक संस्थानों के 1.67 करोड़ से अधिक छात्रों ने नशा मुक्त होने की शपथ ली।

ज. एनएमबीए का समर्थन करने और जन जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारीज, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

****